भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1901
(11 मार्च, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए)

पीएमएवाईजी के अंतर्गत लाभार्थियों पर उच्च लागत का बोझ

1901. श्री राहुल गांधी:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के तहत लाभार्थियों पर उच्च लागत के बोझ को कम करने की योजना है , यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या

(ख) क्या सरकार का उक्त योजना के तहत प्रति इकाई सहायता की वर्तमान राशि बढ़ाने का विचार है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) रायबरेली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में स्वीकृत, निर्मित और खाली इकाइयों का ब्यौरा क्या है, यदि हां, तो निर्मित इकाइयों के खाली रहने के क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार को रायबरेली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में उक्त योजना के तहत लाभार्थियों को मनमाने ढंग से बाहर करने के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं , यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(डॉ. चंद्र शेखर पेम्मासानी)

(क) और (ख) प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के तहत मैदानी इलाकों में 1.20 लाख रुपये और पूर्वोत्तर राज्यों, पहाड़ी राज्यों (जम्मू-कश्मीर और लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र सहित) में 1.30 लाख रुपये की इकाई सहायता प्रदान की जाती है। इकाई सहायता के अलावा, लाभार्थियों को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना

(एमजीएनआरईजीएस) के साथ अनिवार्य अभिसरण के माध्यम से अकुशल श्रम मजदूरी के 90/95 श्रम दिवसों के अवसर भी प्रदान किए जाते है। स्वच्छ भारत मिशन - ग्रामीण (एसबीएम-जी), महात्मा गांधी नरेगा या वित्त पोषण के किसी अन्य विशेषीकृत स्रोत के माध्यम से शौचालय निर्माण के लिए 12,000 रुपये की सहायता भी प्रदान की जाती है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2 करोड़ और आवासों के निर्माण के लिए मौजूदा इकाई सहायता के अनुसार पीएमएवाई-जी को मार्च , 2029 तक जारी रखने का अनुमोदन प्रदान किया है। पीएमएवाई-जी के तहत लाभार्थियों को प्रदान की जाने वाली इकाई सहायता केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी के अनुसार है और वर्तमान में , इकाई वित्तीय सहायता बढ़ाने के लिए मंत्रालय में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ग) उत्तर प्रदेश के रायबरेली संसदीय क्षेत्र में योजना की प्रगति निम्नानुसार है:

[इकाई संख्या में]

जिला/संसदीय निर्वाचन क्षेत्र	**राज्य द्वारा आवंटित लक्ष्य**	**राज्य द्वारा स्वीकृत मकान**	**निर्मित मकान**
रायबरेली	81,829	81,823	81,495

पीएमएवाई-जी का कार्यान्वयन राज्य सरकारों द्वारा किया जा रहा है। मंत्रालय संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को केंद्रीय अंश जारी करता है और राज्य लाभार्थियों को मकान निर्माण में प्रगति के अनुसार किस्तों में वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं। इस योजना के तहत मकानों का निर्माण लाभार्थियों द्वारा स्वयं किया जाता है या उनकी देखरेख में करवाया जाता है तथा निर्माण के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किसी ठेकेदार को नियुक्त नहीं किया जाता है। मंत्रालय निर्मित इकाइयों के अधिभोग का ब्यौरा नहीं रखता है।

(घ) जी नहीं।